



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-16072026-274550
CG-JH-E-16072026-274550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 567]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)
अधिसूचना

धनबाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि . 625(अ).—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 173 के उप-नियम (1) के तहत मुझे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित), इसके द्वारा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों का विनिर्देशन करता हूँ:

दायरा: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 173(1) के तहत ज़रूरी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फॉर्म।

लागू होना: ये फॉर्म उन सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लागू होंगे जो उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 158, 159, 161 और/या

162 के तहत प्रशिक्षण कोर्स पूरा करते हैं और प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन में स्वीकार्य प्रदर्शन करते हैं।

अनुपालन आवश्यकता:

प्रपत्र – T(2)

प्रारंभिक/पुनरावलोकन* प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म

{व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 173(1) देखें

सतही खान में रोजगार के लिए प्रारंभिक/पुनरावलोकन* प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

और खुली खदान/भूमिगत खान/गैसीय कोयला/भूमिगत खान/धातु/तेल खान* में रोजगार के लिए डिग्री I/II/III

मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी...
ग्रामथाना (पुलिस स्टेशन).....
 डाकघर.....जिला.....राज्य.....ने नियम 158/ नियम 159/नियम 161* के
 प्रावधानों के अनुसार विधिवत प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026, सतही और खुली खदानों/भूमिगत श्रेणी I/II/III
 गैसीय कोयला/भूमिगत धात्विक/तेल खदानों* में रोजगार के लिए।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षु के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और उसे संतोषजनक पाया गया।

प्रशिक्षित व्यक्ति का चित्र लगाने के लिए स्थान

प्रशिक्षित व्यक्ति का चित्र

#

नमूना हस्ताक्षर

या प्रशिक्षित व्यक्ति के

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रशिक्षण केंद्र का नाम

प्रशिक्षण केंद्र कोड/पंजीकरण संख्या:

तारीख...

एजेंट या प्रबंधक के

प्रति-हस्ताक्षर:

तारीख...

* जो लागू न हो, उसे काट दें या हटा दें।

प्रशिक्षु की तस्वीर लगाएं जिस पर उसका नाम हो और जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के

प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

प्रपत्र – टी(3)

विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का प्रपत्र

{ उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 173(1) देखें }

कोयला/धातु/तेल खान में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र*

मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी,

पदनाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम.....

.....थाना (पुलिस स्टेशन)...

.....डाकघर.....जिला.....ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा,

स्वास्थ्य

और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 162 के प्रावधानों के अनुसार, अवधि के दौरान विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

.....सेविषय पर

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षु के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, ट्रेनी के परफॉर्मंस का आकलन किया गया और उसे संतोषजनक पाया गया।

ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति के

नमूना हस्ताक्षर

या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

प्रशिक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर

ट्रेनिंग सेंटर का नाम

ट्रेनिंग सेंटर कोड/रजिस्ट्रेशन नंबर:

तारीख...

एजेंट या प्रबंधक के

प्रति-हस्ताक्षर:

तारीख...

* जो लागू न हो, उसे काट दें या हटा दें।

ट्रेनी का नाम लिखी हुई और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा विधिवत सत्यापित चित्र लगाएं।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-8/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub-rule (1) of rule 173 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the Forms for issue of Certificate of Training, as follows:

Scope: Forms for issue of Certificate of Training, as required under Rule 173(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These Forms shall be applicable for issuance of certificate of training to every person who undergoes a course of training and completes the training followed by assessment and acceptable performance therein, under Rules 158, 159, 161 and/or 162 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Compliance Requirement:

FORM – T(2)

The form for the certificate of initial/refresher* training

{See Rule 173(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026}

Certificate of Initial/Refresher* Training for employment in a mine on surface and in opencast workings/belowground degree I/II/III gassy coal/belowground metalliferous/oil mine*

I, hereby certify that Shri/Smt/MissS/o/D/o/W/o...
.....VillageThana (police Station)...
P.O.....District.....State...has duly undergone initial training
from..... to ... as required under the provisions of Rule 158/ Rule 159/Rule 161* of the
Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, for employment in a mine on surface
and in opencast workings/belowground degree I/II/III gassy coal/belowground metalliferous/oil mines*.

After completion of training the trainee was assessed for his/her performance and found to be satisfactory.

Space for affixing
the Photograph of
the Person trained #

Specimen Signature or left
hand thumb impression of the
person trained

Signature of Training Officer

Name of Training Centre

Training Center Code/ Registration no:

Date...

Counter signature of

The Agent or Manager:

Date...

* Strike out or delete, whichever is/are not applicable.

Affix the photograph having the name of the trainee and duly attested by training officer of vocational training centre.

FORM – T(3)

The form for the certificate of special training

{See Rule 173(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026}

Certificate of Special Training of persons employed in coal/ metalliferous/oil mine*

I, hereby certify that Shri/Smt/Miss,
Designation.....S/o/D/o/W/o.....Village..... Thana
(Police Station)... ..P.O.....District..... has undergone
special training, as per provisions of Rule 162 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central)
Rules, 2026, during the period fromto on the subject
.....

After completion of the training the trainee was assessed for his/her performance and found to be satisfactory.

Space for affixing
the Photograph of
the Person trained #

Specimen Signature or left
hand thumb impression of the
person trained

Signature of Training Officer

Name of Training Centre

Training Center Code/ Registration no:

Date...

Counter signature of

The Agent or Manager:

Date...

* Strike out or delete, whichever is/are not applicable.

Affix the photograph having the name of the trainee and duly attested by training officer of vocational training centre.

[F. No. DGMS/03-8/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines